

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, अटल नगर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. ५७५५/एफ-१-२६/३१/एस-२/२०२१ ,

अटल नगर, दिनांक १२/११/२०२१

प्रति,

मुख्य अभियंता,  
महानदी गोदावरी कच्चार,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

**विषय:-** बेमेतरा जिले के विकासखण्ड साजा की ठेलका व्यपर्वतन योजना शीर्ष कार्य, मुख्य एवं लघु नहरों का रिमाडलिंग तथा लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।


**संदर्भ :-** प्र.अ. का पत्र क्र.-1076/बो.प्र./प्रशा.स्वी./२०२०/११९५९, दिनांक ३१.१२.२०२०

—००—

राज्य शासन एतद द्वारा बेमेतरा जिले के विकासखण्ड साजा की ठेलका व्यपर्वतन योजना शीर्ष कार्य, मुख्य एवं लघु नहरों का रिमाडलिंग तथा लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु.३२५.५८ लाख (रुपये तीन करोड़ पच्चीस लाख अन्तावन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई 220 हेक्टेयर में 61 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा बचत जल से 250 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 470 हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-४५ लघु सिंचाई निर्माण कार्य 4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {१०१}-सतही जल, ०१०१, राज्य आयोजना (सामान्य), (३८०३) लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं #९७ निर्माण कार्य, ००३ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. ६६०/सी.एन.३१-०००४५/बजट-२/वित्त/चार/२०२१ दिनांक ०९.११.२०२१ द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
१२/११/२०२१  
( प्रेमसिंह चौहान )

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

पृ. क्र. ४७४६/एफ-१-२६/३१/एस-२/२०२१ , अटल नगर, दिनांक १२/११/२०२१

प्रतिलिपि :-

- १ अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- २ निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- ३ विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- ४ सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- ५ सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- ६ महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- ७ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- ८ कलेक्टर, जिला—बेमेतरा(छ.ग.)।
- ९ संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- १० प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, नवा रायपुर—अटल नगर।
- ११ उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम ४-२२ नवा रायपुर—अटल नगर।
- १२ अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, सेक्टर-१९, नवा रायपुर—अटल नगर।
- १३ अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल, दुर्ग जिला—दुर्ग (छ.ग.)।
- १४ कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा जिला— बेमेतरा (छ.ग.)  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- १५ आदेश फोल्डर।

SMA  
१२/११/२०२१  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग